


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर  
फर्द अहकाम

बउनवानी गिराज प्रसाद उर्फ गिराज किशोर पुत्र कजोड राणा निवासी खिरनी तह0 मलारना डूंगर  
बनाम

देवीशंकर पुत्र रामसहाय जाति राणा निवासी पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक व अन्य  
किस्म प्रकरण- मुत्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 07 / 2024

जीसीएमएस संख्या 2024 / 44

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
22.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह उक्त मुत्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी द्वारा भी मुत्तकिली प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस करते हुए खारिज करने बाबत निवेदन किया गया। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण व वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	

